CNR NO-UPAU010002502020

[ACTION PLAN]

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) औरैया।

पीठासीन अधिकारी– श्री अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र (उच्चतर न्यायिक सेवा)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 09पी/2020
नवीन कम्प्यूटरीकृत विशेष सत्र वाद संख्या–20/2020
उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष।

प्रति

अनुज कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी किशनी रोड ऊसराहार, थाना ऊसराहार, जिला इटावा, उ0प्र0।

................अभियुक्त...........।

मुकदमा अपराध संख्या–243 सन् 2019
धारा–363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम
थाना–बेला, जनपद–औरैया।

निर्णय

01. प्रस्तुत विशेष सत्र वाद संख्या–20/2020, मुकदमा अपराध संख्या 243/2019 में पुलिस थाना बेला, जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त अनुज कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 में विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामचन्द्र द्वारा थानाध्यक्ष बेला, जिला औरैया को इस आशय की तहरीर दी गयी है कि प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र स्व० शिवबालक ग्राम पुर्वा अजीत थाना बेला जिला औरैया का निवासी है। प्रार्थी की पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष है, जो कक्षा 08 तक की शिक्षा ग्रहण की है। दिनांक 16.09.2019 को समय करीब 2.30 बजे दिन प्रार्थी की पुत्री को अनुज कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह किशनी रोड ऊसरहार थाना ऊसराहार जिला इटावा को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उसकी पुत्री/पीड़िता उसे खेत पर खाना देने गई थी। खाना देकर काफी समय तक घर पर नहीं आयी। तब हम लोगों ने खोजबीन करना शुरु किया, अनुज कुमार उसके घर पहले से आता जाता था। अनुज कुमार उसकी बड़ी पुत्री प्रेमलता के जेठ का लडका है। प्रेमलता हमारे परिवार की सत्यवीर की पुत्री है। उसी पुत्री/पीड़िता का अब तक पता नहीं चल सका

Digitally signed by AKHILESWAR PRASAD MISHRA
Date: 2026.08.14 16:45:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। उसकी पीड़िता पुत्री के पास मो0नं0 8273774091 व अनुज के पास मोबाइल नं0 8126527910 है।

03. प्रार्थी/वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेला, जनपद औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 124/2019 अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त अनुज कुमार के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया तथा मामले के विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अनुज कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

04. अभियुक्त अनुज कुमार के उपस्थित होने पर न्यायालय के पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2020 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 में विरचित किए गए। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोग कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–01 मामले की पीड़िता, पी0डब्लू0–02 वादी मुकदमा रामचन्द्र, पी0डब्लू0–03 कान्सटेबल 761 सत्यवीर सिंह, पी0डब्लू0–04 डाक्टर मंजू सचान, पी0डब्लू0–05 शैलेन्द्र सिंह, इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं पी0डब्लू0–06 रिटायर्ड उपनिरीक्षक सत्य नारायण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं तथा उन्हें साक्षीगण के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साबित किए गए प्रपत्र	प्रमाणित साक्षी	साक्षी विवरण
1	प्रदर्श क–1	बयान धारा 161 दं0प्र0सं0	पी0डब्लू0–01	पीड़िता/तथ्य की साक्षी
2	प्रदर्श क–2	बयान धारा 164 दं0प्र0सं0	पी0डब्लू0–01	पीड़िता/तथ्य की साक्षी
3	प्रदर्श क–3	लिखित तहरीर	पी0डब्लू0–02	वादी/तथ्य का साक्षी
4	प्रदर्श क–4	फर्द बरामदगी, पीड़िता	पी0डब्लू0–02	वादी/तथ्य का साक्षी
5	प्रदर्श क–5	कम्प्यूटरीकृत प्रति जी0डी0	पी0डब्लू0–03	औपचारिक साक्षी
6	प्रदर्श क–6	चिक एफआईआर	पी0डब्लू0–03	औपचारिक साक्षी
7	प्रदर्श क–7	पूरक चिकित्सीय आख्या	पी0डब्लू0–04	चिकित्सक/औपचारिक साक्षी
8	प्रदर्श क–8	चिकित्सीय परीक्षण आख्या	पी0डब्लू0–04	चिकित्सक/औपचारिक साक्षी

9	प्रदर्श क–9	एसआर रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति	पी0डब्लू0–05	प्रधानाचार्य / औपचारिक साक्षी
10	प्रदर्श क–10	एसआर रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति	पी0डब्लू0–05	प्रधानाचार्य / औपचारिक साक्षी
11	प्रदर्श क–11	मूल लीविंग सर्टिफिकेट	पी0डब्लू0–05	प्रधानाचार्य / औपचारिक साक्षी
12	प्रदर्श क–12	घटनास्थल का नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–06	विवेचक / औपचारिक साक्षी
13	प्रदर्श क–13	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–06	विवेचक / औपचारिक साक्षी

07. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित किए गए, जिसमें उसने कथन किया है कि घटना गलत है। वादी मुकदमा व पीड़िता ने गलत बयान दिए हैं। औपचारिक साक्षीगण द्वारा औपचारिकता पूर्ण की गयी हैं। मामले के विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलाया गया है। प्रार्थी सत्यवीर की पुत्री प्रेमलता के जेठ का लड़का है, इसलिए प्रार्थी का प्रेमलता के घर आना जाना था, वहीं रामचन्द्र वादी के परिवार के लोग भी आते जाते थे। रामचन्द्र अपनी पीड़िता पुत्री की शादी प्रार्थी से कराना चाहता था, जिसे मना करने पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा कायम कराया है।

08. बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में डी0डब्लू0–01 के रूप में सत्यवीर पुत्र मेवाराम को परीक्षित कराया गया है।

09. मैंने अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के तर्कों एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों का श्रवण किया तथा प्रस्तुत तर्कों को निर्णय में जहॉ तहां उद्धृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का भी सम्यक् अवलोकन किया गया।

10. अभियुक्त की ओर से उपस्थित उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता का व्यपहरण नहीं किया गया और न ही उसके साथ कोई बलात्कार किया गया है। वादी मुकदमा व पीड़िता ने गलत बयान दिए हैं। स्वयं मामले की पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार किया है, जिससे भी दर्शित होता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार का अपराध नहीं हुआ है। पीड़िता के स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा उसकी आयु गलत साबित की गयी है। मामले के विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध गलत आरोप पत्र प्रेषित किया है। विवेचक के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध सारभूत साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए हैं। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को जहॉ तहॉ से उद्धरित करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अपने केस को अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त

किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर व्यपहरित कर ले जाकर उसके साथ बलात्संग कारित किया गया है। पीड़िता घटना के समय एक नाबालिग बालिका रही है। अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार कारित कर गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, जिसे अभियोजन द्वारा साबित भी किया गया है। तथ्य के दोनों साक्षीगण द्वारा अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजन (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने अपने केस को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये।

12. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 06 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिनमें 02 तथ्य के साक्षी व शेष औपचारिक गवाह हैं। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क–1 लगायत प्रदर्श क–13 (उपरिवर्णित) प्रस्तुत किये गये हैं।

साक्ष्य

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य की साक्षी **पी0डब्लू0–01 मामले की पीड़िता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 16.09.2019 की है। उक्त दिनांक को समय करीब ढाई बजे दोपहर वह अपने पिता को खाना देने जा रही थी, रास्ते में उसके अभियुक्त अनुज कुमार मिला, अभियुक्त अनुज उसका दूर का रिश्तेदार है। उसने उसे अपने मोबाइल में उसका एक वीडियो दिखाया जो उसमें वह नहा रही थी, वह वीडियो दिखाकर तथा उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर अभियुक्त उसे अपने साथ ले गया, ओमनी कार से ले गया। अभियुक्त के डर के कारण तथा वीडियो वायरल करने की धमकी के कारण वह नहीं चिल्लाई, अभियुक्त उसे बिधूना ले गया, फिर उसके बाद इटावा ले गया, इटावा में पॉच दिन एक कमरे में बंद रखा और उसके साथ कई बार उसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया, फिर अभियुक्त पॉच दिन बाद उसे लेकर वापस आ रहा था और हम लोग वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस वहॉ। आ गयी, पुलिस को देखकर अभियुक्त भाग गया, उसे पुलिस लेकर थाने आयी थी, थाने पर महिला पुलिस ने उसका बयान लिया था। गवाह को पत्रावली में शामिल कागज सं0 8क दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है, जो उसके बोलने पर महिला पुलिस ने लिखा था। बयान लिखने के बाद उसे पढ़कर सुनाया गया, उसके बाद उसने अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले गयी थी, लेकिन उसने अभियुक्त के डर के कारण तथा उसके वीडियो

वायरल करने की धमकी के कारण उसने डाक्टरी कराने से मना कर दिया था। न्यायालय की अनुमति से सीलबंद लिफाफा खोला गया तथा उसमें रखे बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 पीड़िता, गवाह को दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है, जो उसने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिया था, जिस पर उसकी फोटो चस्पा है व उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 को पत्रावली में कागज सं0 26क/1 लगायत 26क/3 के रूप में संलग्न किा गया है। उसने कक्षा आठ की परीक्षा पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्वा अजीत से उत्तीर्ण की है, उसकी जन्मतिथि 02.08.2004 है। घटना के समय उसकी उम्र करीब 15 वर्ष थी। उसे अभियुक्त से डर है। अभियुक्त उसे धमकाता है, बार बार समझौते का दबाव डालते हैं। पत्रावली में शामिल कागज सं0 12क/1 लगायत 12क/2 फोटो उसे धमकी देकर खिचवाये गए थे। आज वह बिना भय, डर के अपनी स्वेच्छा से बयान दे रही है।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी **पी0डब्लू0–02 वादी मुकदमा, रामचन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी पीड़िता पुत्री की उम्र करीब 15 वर्ष है, जो कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्वा अजीत में कक्षा आठ तक पढ़ी है। करीब दो ढाई बजे दिन के दिनांक 16.09.2019 को उसे खेत पर खाना देने उसकी पुत्री/पीड़िता आ रही थी कि रास्ते में उसके खेत के पास सड़क पर खजूर के पेड़ के पास पहुंची तो हसरेन की तरफ से चार पहिया कार से उसके भाई सत्यवीर की पुत्री प्रेमलता के जेठ का लड़का अनुज पुत्र महेन्द्र आया और उसके खेत के पास खजूर के पेड़ के पास गाड़ी खड़ी कर उसकी पुत्री/पीड़िता को बैठाकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। वह जब खेत से घर आया और पुत्री घर नहीं आई तो उसने उसे तलाश किया तो उसके गांव के दीपू पुत्र रामचन्द्र ने बताया कि उसकी पुत्री को अनुज पुत्र महेन्द्र गाड़ी में बैठाकर ले गया है। उसने उसे काफी तलाश किया, नहीं मिली, तब उसने थाने में अपने रिश्तेदार लायक सिंह से तहरीर लिखवाकर अपने हस्ताक्षर करके थाने पर दी थी। तहरीर पत्रावली में कागज सं0 5क के रूप में संलग्न है, जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो उसने सुन समझकर हस्ताक्षर किए थे। तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान करता है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पुलिस को उसने घटनास्थल दिखाया था और पुलिस ने उसके बयान लिए थे। पुलिस ने उसकी बेटी को बरामद किया था। मौके पर फर्द बनायी थी, जो कि पत्रावली में कागज सं0 9क के रूप में संग्लन है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–03 कान्सटेबल 761 सत्यवीर सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.09.2019 को वह थाना बेला में सीसीटीएनएस डयूटी पर तैनात था। उक्त दिनांक को वादी मुकदमा द्वारा दिए

गए प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रभारी अधिकारी के मौखिक आदेश पर मुकदमा अपराध सं0 243/2019 धारा 363, 366 भा0दं0सं दर्ज किया गया व जीडी सं0 20 उसके द्वारा कम्प्यूटर पर किता की गयी, जो पत्रावली में कागज सं0 7क/1 के रूप में संलग्न है, जिस पर थाने की मुहर लगी है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। इसी क्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा कम्प्यूटर पर किता की गयी, जो पत्रावली में कागज सं0 4क/1 लगायत 4क/2 के रूप में संलग्न है, जिस पर थाने की मुहर लगी। प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–04 डाक्टर मंजू सचान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.09.2019 को वह जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया में वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात थी। उक्त दिनांक को महिला कां0 सलोनी यादव द्वारा इस अभियोग की पीड़िता को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। पीड़िता ने अपनी डाक्टरी कराने से मना कर दिया था, इसलिए उसके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया। कागज सं0 11क/3 पर लिखा कथन ''मैं दिनांक 16.09.2019 को खेत में.............मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ है।'' पीड़िता ने स्वयं उसके समक्ष लिखा था। जिस पर पीड़िता के व उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करती है। उसने पीड़िता की उम्र निर्धारण हेतु रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया था। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आने के पश्चात उसके द्वारा पीड़िता की पूरक चिकित्सीय आख्या तैयार की गयी थी, जो पत्रावली में कागज सं0 13क/1 लगायत 13क/2 के रूप में संलग्न है, उसके हस्तलेख में है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। कागज सं0 11क/1 लगायत 11क/4 पीड़िता की चिकित्सीय आख्या है, जो उसके द्वारा तैयार की गयी है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–05 शैलेन्द्र सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक** उच्च प्राथमिक विद्यालय पुर्वा अजीत (कम्पोजिट) थाना बेला जिला औरैया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि न्यायालय के समन के अनुपालन में वह आज छात्रा/पीड़िता से सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय पुर्वा अजीत व पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्वा अजीत के मूल एसआर रजिस्टर के साथ उपस्थित आया है, छात्रा ने प्राथमिक विद्यालय में दिनांक 26.07.2010 को कक्षा एक में प्रवेश लिया था और कक्षा पॉच तक शिक्षा ग्रहण की है। छात्रा का नाम एसआर क्रमांक 2439 के सामने अंकित है तथा उसकी जन्मतिथि 02.08.2004 अंकित है, जो प्रवेश के समय छात्रा के अभिभावक द्वारा बताये जाने के अनुसार अंकित की

गयी थी। बाद में छात्रा ने पूर्व माध्यमिक में दिनांक 01.04.2015 को कक्षा छः में प्रवेश लिया था और कक्षा आठ तक शिक्षा ग्रहण की थी। छात्रा का नाम एसआर क्रमांक 280 के सामने अंकित है तथा उसकी जन्मतिथि 02.08.2004 अंकित है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय दोनों कम्पोजिट है और दोनों का प्रभारी प्रधानाचार्य है। वह आज न्यायालय दोनो एसआर रजिस्टर को प्रमाणित कर दाखिल कर रहा है, जिन्हें पत्रावली में कागज सं0 49क/1 लगायत 49क/2 के रूप में संलग्न किया गया है। छायाप्रतियों पर उसके हस्ताक्षर हैं, विद्यालय की मुहर लगी है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज सं0 10क को देखकर गवाह ने कहा कि यह छात्रा का कक्षा आठ का प्रस्थान प्रमाण पत्र है, जो उसके द्वारा जारी किया गया है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–06 रिटायर्ड उपनिरीक्षक सत्य नारायण** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.09.2019 को वह थाना बेला में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को इस अभियोग की एफआईआर पंजीकृत होने के पश्चात नकल एफआईआर, नकल रपट उसे विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। सी0डी0 का पर्चा सं0 1 में नकल एफआईआर, नकल रपट का अवलोकन किया, बयान एफआईआर लेखक कां0 सत्यवीर सिंह अंकित किया। सी0डी0 का पर्चा सं0 02 में बयान वादी अंकित किया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया, नक्शा नजरी बनाया, जो पत्रावली में कागज सं0 14क के रूप में संलग्न है, जो उसके हस्तलेख में है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। सी0डी0 का पर्चा सं0 03 में पीड़िता की कक्षा आठ की टीसी का अवलोकन किया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 02.08.2004 अंकित थी। पीड़िता की बरामदगी सहार बिधूना तिराहे से की गयी, महिला कां0 सलोनी से पीड़िता का बयान अंकित कराया गया। बयानों का अवलोकन किया गया। बयान पत्रावली में कागज सं0 8क के रूप में संलग्न है, जो कां0 सलोनी यादव के हस्तलेख में है, जो कां0 सलोनी के द्वारा हस्ताक्षरित है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 अंकित है। कागज सं0 9क पीड़िता की फर्द है, जो उसके द्वारा तैयार की गयी है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–4 अंकित है। सी0डी0 का पर्चा सं0 4 में पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पीड़िता ने डाक्टरी कराने से मना कर दिया था। सी0डी0 का पर्चा सं0 05 में वादी मुकदमा द्वारा यह बताया गया कि पीड़िता लोक लाज के कारण महिला कां0 को दिए गए बयानों में पूरी बात नहीं बता पायी थी, जबकि अभियुक्त अनुज ने उसके साथ बलात्कार किया था, पीड़िता की मां के बयान अंकित किए। सी0डी0 का पर्चा सं0 05 में

पीड़िता का बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 न्यायालय में अंकित कराया गया, बयान का अवलोकन किया, अभियोग में धारा 376 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। सी0डी0 का पर्चा सं0 06, 07 व 08 अभियुक्त की तलाश हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश के सम्बन्ध में किता किए गए। सी0डी0 का पर्चा सं0 09 में अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण न्यायालय में किए जाने की सूचना अंकित की गयी। सी0डी0 का पर्चा सं0 10 में जिला कारागार जाकर अभियुक्त का बयान अंकित किया गया। सी0डी0 का पर्चा सं0 12 में पीड़िता की मां सावित्री देवी, भाई विनय कुमार एवं भाभी नेमा देवी का बयान अंकित किया एवं विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र महेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 309/19 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो कि पत्रावली में कागज सं0 3क/1 लगायत 3क/2 के रूप में संलग्न है, जो उसके निर्देश पर तैयार किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, थाने की मुहर लगी है। जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

19. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित सफाई साक्षी **डी0डब्लू0–01 सत्यवीर पुत्र मेवाराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह नगला अजीत का रहने वाला है। वह इस मुकदमे के वादी रामचन्द्र को जानता है। यह उसके चाचा के लड़के हैं। उसकी पुत्री प्रेमलता की शादी ऊसराहार में हुई है। मुल्जिम अनुज कुमार उसकी पुत्री प्रेमलता के जेठ का लड़का है। उसका नाती लगता है। उसके परिवार व वादी रामचन्द्र का परिवार जो पास पास है, उसमें आपस में मेल जोल है। अनुज कुमार का उसके यहॉ किसी प्रोग्राम में या वैसे ही आना जाना रहता था तथा वादी रामचन्द्र की पीड़िता पुत्री का भी उसके घर आना जाना रहता था। अनुज कुमार भी आता जाता था। वादी रामचन्द्र ने उससे कहा कि अनुज कुमार की शादी उसकी लड़की/पीड़िता से करवा दो, उसने जब अनुज कुमार व उसके घरवालों से पीड़िता की शादी के सम्बन्ध में बातचीत की तो उन लोगों ने शादी करने से साफ मना कर दिया। यह बात रामचन्द्र को बुरी लगी और वह अनुज कुमार व उनके परिवारवालों से बुराई मानने लगे।

साक्ष्य का विश्लेषण

20. प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त पर आरोप यह है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को उसके विधिक संरक्षण से व्यपहरित कर पीड़िता को अयुक्त सम्भोग व विवाह हेतु विवश करने के आशय से बहला फुसलाकर भगाया गया है तथा उसके साथ बलात्संग कारित कर उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है, जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

21. अभियोजन कथानक, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, के अनुसार प्रार्थी

प्रार्थी रामचन्द्र की पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष है, जो कक्षा 08 तक की शिक्षा ग्रहण की है। दिनांक 16.09.2019 को समय करीब 2.30 बजे दिन प्रार्थी की पुत्री को अनुज कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह किशनी रोड ऊसरहार थाना ऊसराहार जिला इटावा को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उसकी पुत्री/पीड़िता उसे खेत पर खाना देने गई थी। खाना देकर काफी समय तक घर पर नहीं आयी। तब हम लोगों ने खोजबीन करना शुरु किया, अनुज कुमार उसके घर पहले से आता जाता था। अनुज कुमार उसकी बड़ी पुत्री प्रेमलता के जेठ का लडका है। प्रेमलता हमारे परिवार की सत्यवीर की पुत्री है। उसी पुत्री/पीड़िता का अब तक पता नहीं चल सका है।

22. उक्त आरोपों के सापेक्ष प्रथमतः लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रयोजन से पीड़िता की आयु पर विचार किया जाना समीचीन होगा। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता नाबालिग है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में पीड़िता के स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक, शैलेन्द्र सिंह पी0डब्लू0–05 परीक्षित हुए हैं तथा उनके द्वारा पीड़िता की आयु को प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी ने शैक्षणिक प्रपत्र कागज सं0 49क/1 प्राथमिक विद्यालय पुर्वा अजीत के एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–09, कागज सं0 49क/2 पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्वा अजीत के एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–10 एवं कागज सं0 10क मूल लीविंग सर्टिफिकेट प्रदर्श क–11 को दाखिल का प्रमाणित किया गया है। उपरोक्त शैक्षणिक प्रपत्र में पीड़िता की जन्मतिथि 02.08.2004 अंकित है।

23. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता के स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा उसकी आयु गलत साबित की गयी है। पीड़िता की आयु उसके अभिभावक द्वारा शैक्षणिक प्रपत्र में कम अंकित करायी गयी है। इस प्रकार पीड़िता की आयु संदिग्ध होना कहा है, जिसका अभियुक्त को लाभ मिलना चाहिए। बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है, क्योंकि पीड़िता के उपरोक्त शैक्षणिक प्रपत्रों प्रदर्श क–09 लगायत प्रदर्श क–11 में उसकी जन्मतिथि 02.08.2004 है तथा घटना दिनांक 16.09.2019 की है, जिसकी गणना करने पर उसकी आयु घटना के समय 15 वर्ष 01 माह 14 दिन होती है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि मामले की पीड़िता ने अपने बयानों में जन्मतिथि 02.08.2004 होना बताया है।

24. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 के अन्तर्गत आयु निर्धारण के सम्बन्ध में सर्वप्रथम हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अथवा अंकपत्र अथवा अन्तिम शैक्षणिक विद्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसमें उसकी जन्मतिथि उल्लिखित हो। उक्त प्रपत्रों के न होने की दशा में स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र तथा इन प्रपत्रों के न होने की दशा में चिकित्सीय पद्धति द्वारा आयु निर्धारण है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा–94 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत पीड़िता की आयु के निर्धारण के सम्बन्ध में पत्रावली पर पीड़िता के शैक्षणिक प्रपत्रों कागज सं0 49क/1 प्राथमिक विद्यालय पुर्वा अजीत के एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–09, कागज सं0 49क/2 पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्वा अजीत के एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–10 एवं कागज सं0 10क मूल लीविंग सर्टिफिकेट प्रदर्श क–11 को उसके स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा दाखिल कर प्रमाणित किया गया है। अतः आयु के सम्बन्ध में प्राथमिकता विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की ही दी जायेगी। बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई अभिलेख दाखिल नहीं किया गया है, जिससे पीड़िता की जन्मतिथि 02.08.2004 न होकर अन्यथा दर्शित हो।

25. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पीड़िता के शैक्षणिक प्रपत्रों में उसका नाम भिन्न अंकित है। यहाॅ यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने अपने बयान धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 में अपना नाम पीड़िता उर्फ........(शैक्षणिक प्रपत्रों में अंकित नाम) बताया है। इसी प्रकार फर्द बरामदगी में भी उसके दो नाम अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि शैक्षणिक प्रपत्रों में अंकित नाम भी पीड़िता का ही है अर्थात दोनों नाम पीड़िता के ही हैं। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता की आयु के खण्डन में पीड़िता के स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक से भिन्न कोई तथ्य व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे पीड़िता की आयु भिन्न दर्शित हो। अतः इस साक्षी की साक्ष्य आयु के सम्बन्ध में अखण्डित है। इस साक्षी ने धारा 2(घ) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पीड़िता को 18 वर्ष से कम की बालिका होने के तथ्य को प्रमाणित किया है। इस प्रकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(घ) के अनुसार पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की बालिका की श्रेणी में है।

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न कथन किए हैं। तथ्य के साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है। सफाई साक्ष्य में परीक्षित साक्षी ने अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता नहीं बतायी है। मामले की पीड़िता ने अपने बयान धारा 161, 164 दं0प्र0सं0 व चिकित्सक के समक्ष दिए बयानों में बलात्संग का कथन नहीं किया है। मामले के विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। यह भी तर्क दिया है कि पीड़िता ने चिकित्सक के समक्ष अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार किया है तथा यह कहा है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, जिससे भी बलात्संग की घटना होना दर्शित नहीं है। इस प्रकार घटना संदिग्ध है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।

27. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बचाव पक्ष द्वारा दिए तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि मामले की पीड़िता ने अपने बयान धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 एवं चिकित्सक के समक्ष दिए बयानों में अभियोग कथानक का समर्थन किया है तथा उसको

व्यपहरित कर ले जाने और अपने साथ रखने का कथन किया है एवं न्यायालय के समक्ष की गयी अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोग भी कथानक का पूर्ण समर्थन किया है तथा अभियुक्त द्वारा उसको बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना कहा है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी गयी है, जिसके आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा ने भी अभियोग कथानक का समर्थन किया है तथा अभियुक्त द्वारा उसके पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का कथन किया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषसिद्ध होने योग्य है।

28. मामले की पीड़िता द्वारा दौरान विवेचना विवेचक के समक्ष बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि– दिनांक 16.09.2019 को दोपहर के समय अपने पिता को खाना देने गयी थी कि रास्ते में अनुज कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह, जो कि दूर का रिश्तेदार है, मिला, जिसे वह पहले से जानती थी, उसके बातचीत में वह आ गयी, उसे घुमाने के बहाने से ओमनी गाड़ी में नुमाइश बिधूना ले गया, फिर वहाँ से उसे बाहर अपनी रिश्तेदारी इटावा क्षेत्र में घुमाता रहा, वह उससे शादी करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था तथा गलत काम के लिए भी दबाव डालता रहा, वह मना करती रही। वह किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर आ रही थी कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इस प्रकार पीड़िता ने उक्त बयान में अभियुक्त द्वारा उसको बहला फुसलाकर बिधूना नुमाइश में ले जाने और वहाँ से अपनी रिश्तेदारी में घूमाने एवं गलत काम करने का दबाव डालने का कथन किया है तथा अभियुक्त की संलिप्तता बतायी है। पीड़िता ने अपने बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 में यह कहा है कि– दिनांक 16.09.2019 को 02.30 बजे दिन खेत पर खाना देने गयी थी, अनुज कुमार के कहने पर उसके साथ नुमाइश देखने चली गयीं वह उसे नुमाइश के नाम पर जाने कहां ले गया। तीन दिन तक कमरे में बंद रखा, चौथे दिन तक वह होश में आयी तो उसने घर जाने को कहा, उसने किसी और लड़के के साथ ऐरवाकटरा भेज दिया। इस प्रकार उक्त बयान में इसने अभियुक्त द्वारा उसको नुमाइश दिखाने के बहाने से कहीं अंजान जगह ले जाने और वहाँ पर तीन दिन कमरे में बंद रखने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक के समक्ष कागज सं0 11क/3 पर दिए बयान में कहा है कि– वह दिनांक 16.09.2019 को खेत में अपने पापा को खाना देने गयी थी, वहाँ रास्ते में अनुज कुमार मिला और उसे बहला फुसलाकर इटावा क्षेत्र में घूमाता रहा (छः दिन), फिर उसके बाद वह उसकी चंगुल से छूटकर अपने घर आ गयी। उक्त बयान में भी अभियुक्त द्वारा उसका बहला फुसलाकर इटावा ले जाना और लगभग छः दिन तक घूमाना कहा है तथा अभियुक्त की संलिप्तता बतायी है।

29. पी0डब्लू0–01 के रूप में मामले की पीड़िता परीक्षित हुई है। पीड़िता के व्यपहरण एवं बलात्संग के सापेक्ष पीड़िता स्वंय एक महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसने अपनी मुख्य

परीक्षा में कहा है कि घटना दिनांक 16.09.2019 की है। उक्त दिनांक को समय करीब ढाई बजे दोपहर वह अपने पिता को खाना देने जा रही थी, रास्ते में उसके अभियुक्त अनुज कुमार मिला, अभियुक्त अनुज उसका दूर का रिश्तेदार है। उसने उसे अपने मोबाइल में उसका एक वीडियो दिखाया जो उसमें वह नहा रही थी, वह वीडियो दिखाकर तथा उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर अभियुक्त उसे अपने साथ ले गया, ओमनी कार से ले गया। अभियुक्त के डर के कारण तथा वीडियो वायरल करने की धमकी के कारण वह नहीं चिल्लाई, अभियुक्त उसे बिधूना ले गया, फिर उसके बाद इटावा ले गया, इटावा में पॉच दिन एक कमरे में बंद रखा और उसके साथ कई बार उसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया, फिर अभियुक्त पॉच दिन बाद उसे लेकर वापस आ रहा था और हम लोग बहन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस वहॉ, आ गयी, पुलिस को देखकर अभियुक्त भाग गया, उसे पुलिस लेकर थाने आयी थी, थाने पर महिला पुलिस ने उसका बयान लिया था। पुलिस उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले गयी थी, लेकिन उसने अभियुक्त के डर के कारण तथा उसके वीडियो वायरल करने की धमकी के कारण उसने डाक्टरी कराने से मना कर दिया था। इस साक्षी ने अपने बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क–1 एवं बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 को प्रमाणित किया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा उसको उसकी नहाते समय की वीडियो दिखाकर व वायल करने की धमकी देकर बिधूना व इटावा ले जाने और वहां पर लगभग पॉच दिन एक कमरे में बंद करके उसके साथ कई बार बलात्संग करने का कथन किया है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है।

30. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इसने कहा है कि अभियुक्त अनुज उसके दूर का रिश्तेदार है। उसके चाचा के घर आता जाता है। उसके घर नहीं आता जाता था। अभियुक्त घटना से पूर्व उसके घर आया और उसकी वीडियो कब बनाया उसे नहीं पता, उसे पता तब चला जब वीडियो दिखाया, जब वह अपने पापा को खाना देने जा रही थी, उसी वक्त उसे गाड़ी में डालकर ले गया था, उसके बाद उसे बिधूना, इटावा घूमाता रहा, मुल्जिम उसे सहार तिराहे पर छोड़ने आया था, पुलिस ने उसे घटना के छठवें दिन शाम छः बजे जब अभियुक्त उसे तिराहे पर छोड़ने आया था, तब पुलिस ने बरामद किया था, जब पुलिस ने उसे बरामद किया था, उसके बाद पुलिस ने माता पिता को बुलाया था। उसने घ टना के बारे में अपने माता पिता को बताया था, फिर पुलिस थाने ले गयी थी, फिर पुलिस आन्टी ने उसका बयान लिया था। उसने घटना के बारे में शर्म, डर व अभियुक्त के डर की वजह से व धमकी की वजह से नहीं बताया था। धमकी वाली बात उसके बयान धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 में नहीं है, उसने बलात्कार वाली बात शर्म की वजह से पुलिस व मजिस्ट्रेट साहब को नहीं बतायी थी। उसने अपना मेडिकल अन्दरूनी जॉच शर्म व भय की वजह से

नहीं करायी थी। इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि अभियुक्त के साथ उसकी बरामदगी न हुई हो। इस साक्षी ने अपनी जिरह में भी अभियोग कथानक का समर्थन किया है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है। जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं कहा है, जिससे इसकी मुख्य परीक्षा सारतः खण्डित होती हो।

31. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमुखता से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पीड़िता ने अपने बयान धारा 161, 164 दं0प्र0सं0 व चिकित्सक के समक्ष बलात्संग का कोई कथन नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने अपनी मुख्य व जिरह में अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन किया है तथा जिरह में स्पष्ट से से कहा है कि उसने घटना के बारे में शर्म, डर व अभियुक्त के डर की वजह से व धमकी की वजह से नहीं बताया था। धमकी वाली बात उसके बयान धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 में नहीं है, उसने बलात्कार वाली बात शर्म की वजह से पुलिस व मजिस्ट्रेट साहब को नहीं बतायी थी। उसने अपना मेडिकल अन्दरूनी जॉच शर्म व भय की वजह से नहीं करायी थी। दूसरी ओर पीड़िता ने अपने बयान धारा 161, 164 दं0प्र0सं0 व चिकित्सक के समक्ष दिए बयानों में अभियुक्त द्वारा उसको व्यपहरित कर ले जाने और उसको लगभग पॉच दिन अपने पास रखने का कथन किया है, ऐसे में यह सम्भव नहीं है कि पीड़िता और अभियुक्त एक साथ रहे और उनके सम्बन्ध न बने हों। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

32. इस प्रकार इस साक्षी ने अपने बयान धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 एवं चिकित्सक के समक्ष दिए बयानों में अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए उसको व्यपहरित कर ले जाने और अपने साथ रखने का कथन किया है एवं न्यायालय के समक्ष की गयी अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोग भी कथानक का पूर्ण समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा उसकी वीडियो वायल करने की धमकी देकर व्यपहरित कर ले जाने और उसके साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में कथन किए हैं। इस प्रकार अपराध कारित करने में अभियुक्त अनुज कुमार की संलिप्तता स्थापित है और अभियुक्त द्वारा अयुक्त सम्भोग करने के आशय से पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षण से हटना स्थापित होता है, जो यह दर्शित करता है कि पीड़िता का व्यपहरण उससे विवाह करने के आशय से और उसके साथ अयुक्त सम्भोग करने के लिए किया गया है तथा पीड़िता पर प्रवेशन लैंगिक हमला और बलात्संग कारित करना स्थापित व प्रमाणित होता है।

33. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि डी0डब्लू0–01 के रूप में परीक्षित साक्षी सत्यवीर पुत्र मेवाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह इस मुकदमे के वादी रामचन्द्र को जानता है। यह उसके चाचा के लड़के हैं। उसकी पुत्री प्रेमलता की शादी ऊसराहार में हुई है। मुल्जिम अनुज कुमार उसकी पुत्री प्रेमलता के जेठ का लड़का है। उसका नाती लगता है। उसके परिवार व वादी रामचन्द्र का परिवार जो पास पास है, उसमें

आपस में मेल जोल है। अनुज कुमार का उसके यहॉ किसी प्रोग्राम में या वैसे ही आना जाना रहता था तथा वादी रामचन्द्र की पीड़िता पुत्री का भी उसके घर आना जाना रहता था। अनुज कुमार भी आता जाता था। वादी रामचन्द्र ने उससे कहा कि अनुज कुमार की शादी उसकी लड़की/पीड़िता से करवा दो, उसने जब अनुज कुमार व उसके घरवालों से पीड़िता की शादी के सम्बन्ध में बातचीत की तो उन लोगों ने शादी करने से साफ मना कर दिया। यह बात रामचन्द्र को बुरी लगी और वह अनुज कुमार व उनके परिवारवालों से बुराई मानने लगे। यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने अभियुक्त को पीड़िता के साथ ले जाते हुए देखना नहीं कहा है। तथ्य के साक्षी पीड़िता द्वारा अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है। इसके कथनों से अभियोग कथानक व पीड़िता की साक्ष्य खण्डित नहीं होती है।

34. पी0डब्लू0–02 के रूप में वादी मुकदमा रामचन्द्र परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि उसकी पीड़िता पुत्री की उम्र करीब 15 वर्ष है, जो कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्वा अजीत में कक्षा आठ तक पढ़ी है। करीब दो ढाई बजे दिन के दिनांक 16.09.2019 को उसे खेत पर खाना देने उसकी पुत्री/पीड़िता आ रही थी कि रास्ते में उसके खेत के पास सड़क पर खजूर के पेड़ के पास पहुंची तो हसेरन की तरफ से चार पहिया कार से उसके भाई सत्यवीर की पुत्री प्रेमलता के जेठ का लड़का अनुज पुत्र महेन्द्र आया और उसके खेत के पास खजूर के पेड़ के पास गाड़ी खड़ी कर उसकी पुत्री/पीड़िता को बैठाकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। वह जब खेत से घर आया और पुत्री घर नहीं आई तो उसने उसे तलाश किया तो उसके गांव के दीपू पुत्र रामचन्द्र ने बताया कि उसकी पुत्री को अनुज पुत्र महेन्द्र गाड़ी में बैठाकर ले गया है। उसने उसे काफी तलाश किया, नहीं मिली, तब उसने थाने में अपने रिश्तेदार लायक सिंह से तहरीर लिखवाकर अपने हस्ताक्षर करके थाने पर दी थी। पुलिस को उसने घटनास्थल दिखाया था और पुलिस ने उसके बयान लिए थे। पुलिस ने उसकी बेटी को बरामद किया था। मौके पर फर्द बनायी थी। इस साक्षी ने लिखित तहरीर प्रदर्श क–3 व फर्द बरामदगी पीड़िता प्रदर्श क–4 को प्रमाणित किया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोग कथानक का समर्थन किया है।

35. बचाव पक्ष के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह साक्षी घटना का प्रत्यदर्शी या चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी पुत्री को अभियुक्त के द्वारा गांव के दीपू द्वारा ले जाते हुए देखा जाना कहा है, किन्तु स्वयं देखना नहीं कहा है। इस प्रकार इस अभियोजन साक्षी द्वारा अस्पष्ट व भ्रामक कथन किए है।

36. वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान की मुख्य परीक्षा में अपनी पुत्री को अभियुक्त के द्वारा गांव के दीपू द्वारा ले जाते हुए देखना कहा है, स्वयं ले जाते हुए देखना नहीं कहा है, किन्तु इस साक्षी ने पीड़िता के विलोपित होने तथा अभियुक्त द्वारा पीड़िता का बहला

फुसलाकर व्यपहरण किए जाने का कथन किया है। इस साक्षी ने लिखित तहरीर प्रदर्श क–3 को प्रमाणित किया है। वादी मुकदमा ने पीड़िता का व्यपहरण होना प्रमाणित किया है। यह घ ाटना की तिथि और पीड़िता के विलोपित होने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसने इन तथ्यों को प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि करीब दो ढाई बजे दिन के दिनांक 16.09.2019 को उसे खेत पर खाना देने उसकी पुत्री/पीड़िता आ रही थी कि रास्ते में उसके खेत के पास सड़क पर खजूर के पेड़ के पास पहुंची तो हसेरन की तरफ से चार पहिया कार से उसके भाई सत्यवीर की पुत्री प्रेमलता के जेठ का लड़का अनुज पुत्र महेन्द्र आया और उसके खेत के पास गाड़ी खड़ी कर उसकी पीड़िता पुत्री को बैठाकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उसकी पुत्री विधिपूर्ण संरक्षण से हटाई गयी है अर्थात उसका व्यपहरण किया गया है और लैंगिक सम्बन्ध बनाये गए हैं।

37. इस साक्षी ने पीड़िता के विलोपित होने तथा अभियुक्त द्वारा पीड़िता का व्यपहरण किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पंजीकृत करायी है। प्रकरण की पीड़िता, जिसके साथ घटना घटित हुई है, ने अपने बयानों में अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित व स्थापित की है। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक पुष्ट किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य की साक्षी पीड़िता ने अभियोग कथानक को स्थापित करने वाली ठोस साक्ष्य को प्रस्तुत किया है तथा उसकी साक्ष्य अपने आप में लैंगिक प्रवेशन हमले को स्थापित करती है।

38. यह भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा ने अपनी लिखित तहरीर प्रदर्श क–3 को प्रमाणित किया है, जो दर्शित करता है कि यह तहरीर घटना के उपरान्त दिनांक 17.09.2019 को समय 10.30 बजे अंकित करायी है, जिसमें अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री को व्यपहरित कर ले जाना स्पष्ट रूप से दर्शित है, साथ ही इसकी प्रविष्टि जी0डी0 सं0 20 दिनांकित 17.09.2019 में भी की गयी है। इस साक्षी ने अपनी तहरीर को प्रमाणित किया है, जो दर्शित करती है कि घटना के उपरान्त सहज व स्वाभाविक रूप से घटना की सूचना उसके द्वारा थाने पर दी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अपने आप में साक्ष्य की श्रेणी की है, जो कि प्रमाणित की गयी है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निर्णयज विधि **बाबले प्रति छत्तीगढ़ राज्य AIR 2012 SC Page 2621** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित हो जाती है और उसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती है तथा यह जॉच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सुसंगत परिस्थिति भी होती है।

39. पी0डब्लू0–03 के रूप में औपचारिक साक्षी कान्सटेबल 761 सत्यवीर सिंह परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने कम्प्यूटरीकृत प्रति जी0डी0 प्रदर्श क–5 और चिक प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्रदर्श क–6 को प्रमाणित किया है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिन्होंने औपचारिक कार्यवाहियों और पुलिस प्रपत्रों को प्रमाणित किया है। यह तथ्य का साक्षी नहीं है और न ही घटना का साक्षी है। इस साक्षी की साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य उद्घाटित नहीं होता है, जो कि औपचारिक कार्यवाहियों से पृथक हो। इस साक्षी के कथनों से तथ्य के साक्षियों की साक्ष्य खण्डित और प्रतिस्थापित नहीं होती है।

40. पी0डब्लू0–04 के रूप में औपचारिक साक्षी डॉक्टर मंजू सचान परीक्षित हुई हैं, जिन्होंने पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण को साबित किया है तथा कथन किया है कि दिनांक 24.09.2019 को वह जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया में वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात थी। उक्त दिनांक को महिला कां0 सलोनी यादव द्वारा इस अभियोग की पीड़िता को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। पीड़िता ने अपनी डाक्टरी कराने से मना कर दिया था, इसलिए उसके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया। कागज सं0 11क/3 पर लिखा कथन ''मैं दिनांक 16.09.2019 को खेत में.............मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ है।'' पीड़िता ने स्वयं उसके समक्ष लिखा था। जिस पर पीड़िता के व उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पहचान पुष्टि करती है। उसने पीड़िता की उम्र निर्धारण हेतु रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया था। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आने के पश्चात उसके द्वारा पीड़िता की पूरक चिकित्सीय आख्या तैयार की गयी थी, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। इस साक्षी ने पीड़िता की पूरक चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–7 एवं चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–8 को प्रमाणित किया है।

41. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि स्वयं पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण करने से इंकार किया है, जिससे दर्शित है कि उसके साथ बलात्संग का अपराध नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की निर्णयज विधि **Jiten Ray Vs. State of Assam Rep. by, PP CRL. A (J)/8/2022, 2024 SCC Online Gau. 1561** निर्णय दिनांकित 24.09.2024 में विभिन्न पूर्व निर्णयों को उद्धरित करते हुए प्रतिपादित किया गया है कि–

"27. In the case of **Ganesan Vs. State Represented By Its Inspector of Police, reported in (2020) 10 SCC 573**, the Supreme Court has held that as per the proposition of law, there can be a conviction based on the sole testimony of the victim. However, she must be found to be reliable and trustworthy.

28. In the case of **State of Himachal Pradesh Vs. Raghubir**

Singh, reported in (1993) 2 SCC 622, the Supreme Court has held that there is no legal compulsion to look for corroboration of the evidence of the prosecutrix before recording an order of conviction. Evidence has to be weighed and not counted. Conviction can be recorded on the sole testimony of the prosecutrix, if her evidence inspires confidence and there is absence of circumstances which militate against her veracity.

29. In the case of **Madan Gopal Kakkad Vs. Naval Dubey and Anr., reported in (1992) 3 SCC 204**, the Supreme Court had considered various judgments and books on medical jurisprudence, which basically stated that medical jurisprudence was not an exact science and whether rape had occurred or not is a legal conclusion and not a medical one. The Supreme Court further held that when the evidence of the Medical Officer showed that there was abrasion on the medial side of the Labia Majora and redness was present around the said area with white discharge even after 5 days, it could be safely concluded that there was partial penetration within the labia majora or the vulva or pudenda which in the legal sense is sufficient to constitute the offence of rape.

30. Para 36 to 38 of the judgment in **Madan Gopal Kakkad (supra)** is reproduced hereinbelow as follows:-

" 36. Fazal Ali, J. in Pratap Misra v. State of Orissa has stated thus: " [I] it is well settled that medical jurisprudence is not an exact science and it is indeed difficult for any Doctor to say with precision and exactitude as to when a particular injury was caused as to the exact time when the appellants may have had sexual intercourse with the prosecutrix."

37. We feel that it would be quite appropriate, in this context, to reproduce the opinion expressed by Modi in Medical Jurisprudence and Toxicology (Twenty First Edition) at page 369 which reads thus:

"Thus to constitute the offence of rape it is not necessary that there should be complete penetration of penis with emission of semen and rupture of hymen. Partial penetration of the penis within the Labia majora or the vulva or pudenda with or without emission of semen or even an attempt at penetration is quite sufficient for the purpose of the law. It is, therefore, quite possible to commit legally the offence of rape without producing any injury to the genitals or leaving any seminal stains. In such a case the medical officer should mention the negative facts in his report, but should not give his opinion that no rape had been committed. Rape is crime and not a medical condition. Rape is a legal term and not a diagnosis to be made by the medical officer treating the victim. The only statement that can be made by the medical officer is that there is evidence of recent sexual activity. Whether the rape has occurred or not is a legal conclusion, not a medical one". (emphasis supplied)

38. In **Parikhs Textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology**, the following passage is found:

"Sexual intercourse: In law, this term is held to mean the slightest degree of penetration of the vulva by the penis with or without emission of semen. It is, therefore, quite possible to commit legally the offence of rape without producing any injury to the genitals or leaving any seminal stains."

31. In terms of Section 3 of the POCSO Act, penetration, however slight, into the private parts of another, is sufficient to constitute penetrative sexual assault. When the victim is below 12 years of age, the same amounts to aggravated penetrative sexual assault in terms of Section 5(m) of the POCSO Act.

"32. In the case of **Eera Vs. State (NCT of Delhi), reported in (2017) 15 SCC 133**, the Supreme Court has observed on the statement

of objects and reasons of the POCSO Act in Para 20 as follows:-

"20. The purpose of referring to the Statement of Objects and Reasons and the Preamble of the POCSO Act is to appreciate that the very purpose of bringing a legislation of the present nature is to protect the children from the sexual assault, harassment and exploitation, and to secure the best interest of the child. On an avid and diligent discernment of the preamble, it is manifest that it recognizes the necessity of the right to privacy and confidentiality of a child to be protected and respected by every person by all means and through all stages of a judicial process involving the child. Best interest and well being are regarded as being of paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child. There is also a stipulation that sexual exploitation and sexual abuse are heinous offences and need to be effectively addressed. The statement of objects and reasons provides regard being had to the constitutional mandate, to direct its policy towards securing that the tender age of children is not abused and their childhood is protected against exploitation and they are given facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity. There is also a mention which is quite significant that interest of the child, both as a victim as well as a witness, needs to be protected. The stress is on providing childfriendly procedure. Dignity of the child has been laid immense emphasis in the scheme of legislation. Protection and interest occupy the seminal place in the text of the POCSO Act."

33. In the present case, it is reiterated that the medical evidence does not in any manner indicate that rape had been committed upon the victim by the appellant. The doctor did not make any comment with regard to the hymen of the victim, even though the examination of the hymen was important. Further, there appears to be no injuries on the

private parts of the victim, though there was redness in the vulva. However, there is nothing to doubt the veracity of the testimony of the victim girl before the learned Trial Court, which has been corroborated by her statement recorded under Section 164 Cr.P.C. In the 161 Cr.P.C statement made by the victim girl, she has given a similar statement as has been recorded under Section 164 Cr.P.C and during her testimony before the learned Trial Court. On considering the testimony of the victim girl, we find the testimony of the victim girl to be trustworthy. Though there is no opinion made by the doctor with regard to the hymen of the victim, which cast a doubt as to whether the doctor had even examined the hymen of the victim, we are of the view that the lacuna/fault on the part of the doctor in allegedly not examining the hymen of the victim and/or not making a comment on the same in the Medical Report and in the evidence, cannot be said to support the case of the appellant, which is to the effect that no rape was committed by him upon the victim. In the case of **State of H.P. vs. Manga Singh, reported in (2019) 16 SCC 759**, the Supreme Court has held that merely because there was no rupture of the hymen, it cannot be said that there was no penetration of the perpetrator's penis into the private parts of the victim. It further held that in a case of rape, it is not necessary that external injury is to be found on the body of the prosecutrix.

34. In the case of **State of Tamil Nadu vs. Raju @ Nejru, reported in (2006) 10 SCC 534**, the Supreme Court held that rape is a crime and not a medical condition. Rape is a legal term and not a diagnosis to be made by the Medical Officer treating the victim. The only statement that can be made by the Medical Officer is that there is evidence of recent sexual activity. Whether rape has occurred or not is a legal conclusion, not a medical one. Thus, even if the opinion of the Doctor is to the effect that examination of the victim showed that the

findings were not consistent with recent sexual intercourse or assault, cannot be sufficient to disbelieve the accusation of rape by the victim. The probative value of medical evidence is merely that of a corroborating nature, if at all any such corroboration is necessary. **Though medical evidence is necessary in cases of rape, keeping in view that rape takes place in secrecy, the absence of a medical report cannot be said to be fatal to the prosecution case.''**

42. यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने चिकित्सक के समक्ष अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार किया है, किन्तु पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह के कथनों में अभियोग कथानक का समर्थन किया है तथा अभियुक्त द्वारा उसको व्यपहरित कर बिधूना व इटावा ले जाने और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में कथन किए हैं। जैसा कि उपरोक्त निर्णयज विधियों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है, पीड़िता की साक्ष्य को चिकित्सीय साक्ष्य से सम्पुष्ट न होने या उसके विरोधाभासी होने से खण्डित नहीं किया जा सकता। पीड़िता द्वारा उसका व्यपहरण कर उसके साथ अयुक्त सम्भोग करना और बलात्संग कारित करना अपनी मौखिक साक्ष्य में कहा है, जिससे अभियोग कथानक प्रमाणित होता है।

43. पी0डब्लू0–06 के रूप में रिटायर्ड उपनिरीक्षक सत्य नारायण, जो कि प्रकरण के विवेचक है, परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने द्वारा इस मामले की सम्पूर्ण विवेचना करना कहा है तथा अपने द्वारा की गयी सम्पूर्ण विवेचना को प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 17.09.2019 को वह थाना बेला में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को इस अभियोग की एफआईआर पंजीकृत होने के पश्चात नकल एफआईआर, नकल रपट उसे विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। सी0डी0 का पर्चा सं0 1 में नकल एफआईआर, नकल रपट का अवलोकन किया, बयान एफआईआर लेखक कां0 सत्यवीर सिंह अंकित किया। सी0डी0 का पर्चा सं0 02 में बयान वादी अंकित किया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया, नक्शा नजरी बयान, जो पत्रावली में कागज सं0 14क के रूप में संलग्न है, जो उसके हस्तलेख में है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। सी0डी0 का पर्चा सं0 03 में पीड़िता की कक्षा आठ की टीसी का अवलोकन किया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 02.08.2004 अंकित थी। पीड़िता की बरामदगी सहार बिधूना तिराहे से की गयी, महिला कां0 सलोनी से पीड़िता का बयान अंकित कराया गया। बयानों का अवलोकन किया गया। बयान पत्रावली में कागज सं0 8क के रूप में संलग्न है, जो कां0 सलोनी यादव के हस्तलेख में है,

जो कां0 सलोनी के द्वारा हस्ताक्षरित है, जिस परपूर्व से प्रदर्श क–1 अंकित है। कागज सं0 9क पीड़िता की फर्द है, जो उसके द्वारा तैयार की गयी है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–4 अंकित है। सी0डी0 का पर्चा सं0 4 में पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पीड़िता ने डाक्टरी कराने से मना कर दिया था। सी0डी0 का पर्चा सं0 05 में वादी मुकदमा द्वारा यह बताया गया कि पीड़िता लोक लाज के कारण महिला कां0 को दिए गए बयानों में पूरी बात नहीं बता पायी थी, जबकि अभियुक्त अनुज ने उसके साथ बलात्कार किया था, पीड़िता की मां के बयान अंकित किए। सी0डी0 का पर्चा सं0 05 में पीड़िता का बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 न्यायालय में अंकित कराया गया, बयान का अवलोकन किया, अभियोग में धारा 376 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। सी0डी0 का पर्चा सं0 06, 07 व 08 अभियुक्त की तलाश हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश के सम्बन्ध में किता किए गए। सी0डी0 का पर्चा सं0 09 में अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण न्यायालय में किए जाने की सूचना अंकित की गयी। सी0डी0 का पर्चा सं0 10 में जिला कारागार जाकर अभियुक्त का बयान अंकित किया गया। सी0डी0 का पर्चा सं0 12 में पीड़िता की मां सावित्री देवी, भाई विनय कुमार एवं भाभी नेमा देवी का बयान अंकित किया एवं विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र महेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 309/19 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो कि पत्रावली में कागज सं0 3क/1 लगायत 3क/2 के रूप में संलग्न है, जो उसके निर्देश पर तैयार किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, थाने की मुहर लगी है। जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है और उनके द्वारा की गयी औपचारिक कार्यवाहियों को प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी की साक्ष्य में विवेचना की कोई ऐसी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती, जो पीड़िता के कथन, पीड़िता के व्यपहरण व उसके साथ बलात्संग को खण्डित करे। यह औपचारिक साक्षी है, इसने औपचारिक कार्यवाहियों को प्रमाणित किया है।

44. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, धारा 29 व 30 पॉक्सो अधिनियम अभियुक्त के विरूद्ध यह उपधारणा प्रावधानित करते हैं कि धारा 3, 5, 7, 9 के अपराध करने के लिए अभियोजित करने पर न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है, या उसको करने का प्रयत्न किया है, जब तक कि इसके विरूद्ध साबित न कर दिया जाए। इसी प्रकार धारा 30 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त की आपराधिक, मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा की जायेगी, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उसकी मानसिक दशा अपराध कारित करने की नहीं थी। आपराधिक मनोदशा का तात्पर्य

अपराध का हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास किए जाने का कारण भी है।

45. प्रकरण में पीड़िता ने उसको बहला फुसलाकर व्यपहरित किया जाना, उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाकर अयुक्त सम्भोग करना व बलात्संग करना प्रमाणित किया है। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 29 पॉक्सो अधिनियम की उपधारणा को उत्पन्न करता है, साथ ही धारा 30 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत उसकी आपराधिक मनोदशा को भी दर्शित करता है। पीड़िता धारा 2(घ) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु की बालक की श्रेणी में है। अतः धारा 29 व 30 पॉक्सो अधिनियम की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध उत्पन्न होती है, जिसका मोचन करने का भार अभियुक्त पर है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उसके द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया है, जबकि अभियोजन द्वारा अभियोग कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है। अतः अभियोग कथानक खण्डित नहीं होता और अभियुक्त के विरूद्ध धारा 29 व 30 पॉक्सो अधिनियम के सिद्धभार का मोचन नहीं होता।

46. अभियुक्त अनुज कुमार के द्वारा पीड़िता का व्यपहरण उसके साथ अयुक्त सम्भोग करना और ऐसा सम्भोग बलात्संग की श्रेणी में होना अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया है। धारा 3 पॉक्सो अधिनियम प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित बालक योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करना या किसी अन्य के द्वारा ऐसा करवाना सम्मिलित है, यहॉ तक कि इसमें किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या करवाता है, भी सम्मिलित है। इसमें बालक के शरीर के किसी भाग के साथ अभिचालन जिससे बालक के योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश हो, भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह भी उपबंधित है कि बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाना या लगवाना भी प्रवेशन लैंगिक हमला है।

47. यह घटना दिनांक 16.09.2019 की होना कही गयी है। दिनांक 21.04.2018 को अधिनियम सं0 22 सन 2018 से धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्विष्ट की गयी है, जो प्रावधानित करती है कि– **"जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगाः**

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सीय व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगाः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन आरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जायेगा।''

48. प्रकरण में पीड़िता की आयु घटना की तिथि 16.09.2019 को उसकी जन्मतिथि 15.07.2004 के अनुसार 15 वर्ष 01 माह 14 दिन थी। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

49. पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य व सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त अनुज कुमार द्वारा पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षण से हटाया गया और उसके ऐसे संरक्षण से हटाये जाने से स्वयं व्यपहरण का अपराध कारित हुआ और ऐसे व्यपहरण के उत्तरवर्ती क्रम में पीड़िता से अभियुक्त द्वारा अयुक्त सम्भोग किया गया है, जो कि धारा 363, 366, 376(3) भा0दं0सं0 व धारा 4 पॉक्सो अधिनियम के अपराध को पुष्ट करता है।

50. प्रकरण में पीड़िता की आयु 15 वर्ष 01 माह 14 दिन घटना के समय होना पायी गई है और प्रमाणित है। अतः पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की है। पीड़िता बालक की श्रेणी में है, उसके साथ लैंगिक प्रवेशन हमला किया जाना प्रमाणित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 16.09.2019 की अर्थात पॉक्सो अधिनियम में संशोधन दिनांकित 16.08.2019 से बाद की है। अतः धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम इस मामले में प्रभावी है।

51. उपरोक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण से अभियुक्त अनुज कुमार अभियोग अन्तर्गत धारा 363, 366, 376(3) भा0दं0सं0 व धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है।

आदेश

52. अभियुक्त अनुज कुमार को धारा 363, 366, 376(3) भा0दं0सं0 व धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है।

53. अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

54. पत्रावली अभियुक्त के दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक—14.08.2026

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र),
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
औरैया।
JO Code No. UP6287

55. पत्रावली लंच बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।

56. दण्ड के बिन्दु पर विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उनके द्वारा कहा गया कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर व्यपहरित कर उसके साथ बलात्संग कर गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। मामले की पीड़िता घटना के समय 16 वर्ष से कम आयु की रही है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिया जाए।

57. बचाव पक्ष द्वारा कहा गया कि, दोषसिद्ध अभियुक्त 27 वर्षीय व्यक्ति है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषसिद्ध अभियुक्त के कारागार में निरूद्ध रहने ने उसके परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गई।

58. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

59. प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त अनुज कुमार द्वारा नाबालिग पीड़िता का व्यपहरण किया जाना और व्यपहरण कर उसके साथ अयुक्त सम्भोग करना और ऐसा सम्भोग बलात्संग की श्रेणी में होना अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया है। धारा 3 पॉक्सो अधिनियम प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित बालक योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करना या किसी अन्य के द्वारा ऐसा करवाना सम्मिलित है, यहॉ तक कि किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या करवाता है, भी सम्मिलित है। इसमें बालक के शरीर के किसी भाग के साथ अभिचालन जिससे बालक के योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश हो, भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह भी उपबंधित है कि बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाना या लगवाना भी प्रवेशन लैंगिक हमला है। प्रकरण में अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ बलात्संग कारित किए जाने का दोषी पाया गया है।

60. दण्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णयज विधि महत्वपूर्ण है–

Jameel Vs. State of U.P." reported in MANU/SC/1800/2009: (2010) 12 SCC 532, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि–

"In operating the sentencing system, law should adopt the corrective machinery or deterrence based on factual matrix. By deft modulation, sentencing process be stern where it should be, and tempered with mercy where it warrants to be. The facts and given circumstances in each case, the nature of the crime, the manner in which it was planned and committed, the motive for commission of the crime, the conduct of the accused, the nature of weapons used and all other

attending circumstances are relevant facts which would enter into the area of consideration.

16. It is the duty of every court to award proper sentence having regard to the nature of the offence and the manner in which it was executed or committed. The sentencing courts are expected to consider all relevant facts and circumstances bearing on the question of sentence and proceed to impose a sentence commensurate with the gravity of the offence."

61. यह घटना दिनांक 16.09.2019 की होना कही गयी है। दिनांक 21.04.2018 को अधिनियम सं0 22 सन 2018 से धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्विष्ट की गयी है, जो प्रावधानित करती है कि– ''**जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगाः**

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सीया व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगाः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन आरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जायेगा।''

62. प्रकरण में पीड़िता की आयु घटना की तिथि 16.09.2019 को उसकी जन्मतिथि 02.08.2004 के अनुसार 15 वर्ष 01 माह 14 दिन थी। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा 376(3) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित किया जाना उचित होगा। यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 16.09.2019 की अर्थात पॉक्सो अधिनियम में संशोधन दिनांकित 16.08.2019 से बाद की है। अतः अभियुक्त को धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जाना उचित होगा।

63. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पॉक्सो एक्ट की धारा–42 (आनुकल्पिक दण्ड) में यह प्रावधान किया गया है कि– जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, 376घख, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ख के अधीन भी दण्डनीय कोई अपराध गठित होता है, वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।

64. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) में प्रावधान किया गया है कि, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इसी प्रकार लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4(2) (दिनांक 16.08.2019 से बाद) में प्रावधान किया गया है कि जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अपराधों में समान दण्ड की व्यवस्था है। दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 376(3) भा0दं0सं0 व धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम में समान रूप से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। अभियुक्त द्वारा दौरान विचारण पीड़िता को डराया, धमकाया नहीं गया है और न ही साक्ष्य प्रभावित की गयी है। बचाव पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं है। अतः उपरोक्त विधिक स्थिति में अभियुक्त धारा 42 पॉक्सो अधिनियम के प्रभाव के कारण 20 वर्ष के सश्रम कारावास से व अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने योग्य है।

65. अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, दोषसिद्ध अभियुक्त अनुज कुमार को अग्रलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा—

<u>आदेश</u>

66. दोषसिद्ध अभियुक्त अनुज कुमार को धारा 376(3) भा0दं0सं0 सपठित धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 20 वर्ष (बीस वर्ष) के सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा छः महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगा जायेगा।

67. दोषसिद्ध अभियुक्त अनुज कुमार को धारा—366 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 5 वर्ष (पॉच वर्ष) के सश्रम कारावास तथा पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगा जायेगा।

68. दोषसिद्ध अभियुक्त अनुज कुमार को धारा—363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 3 वर्ष (तीन वर्ष) के सश्रम कारावास तथा पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगा जायेगा।

69. अर्थदण्ड के व्यतिक्रम को छोड़कर दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध में बिताई गयी जेल की अवधि को उक्त दण्ड में समायोजित किया जाता है।

70. समस्त दण्ड साथ–साथ प्रचलित होंगे।

71. प्रस्तुत मामले में जमा करायी गयी अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए दी जायेगी।

72. निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा अभियुक्त का तद्नुसार दण्ड भोगने हेतु अधिपत्र कारागार प्रेषित हो।

दिनांक–14.08.2026

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र),
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
औरैया।
JO Code No. UP6287

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–14.08.2026

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र),
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)
औरैया।
JO Code No. UP6287

नोटः– इस निर्णय में अपहृता/पीड़िता के नाम को गोपनीय रखा गया है और सम्पूर्ण निर्णय में उसे ''पीड़िता'' शब्द से सम्बोधित किया गया है।